13.11.18

कैलाश

प्रार्थी मय वकील उप०/ अ०प०/ अन्य के वकील उप०। प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र आगे चलाना नहीं चाहते है, प्रकरण खारिज विड्रा। खारिज फरमावे।

प्रकट तथ्यों एवम् उक्त आवेदन के मद्देनजर यह आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज विड्रा। खारिज किया जाता है।

पत्रावली [illegible] [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner